# राजस्थान सरकार
## वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/ई–ग्रास/ 12562-962 दिनांक 5/9/2017

**परिपत्र**

बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 192.3.0 के अनुसार ''ई–ग्रास पर ई–पेमेन्ट को मोबाईल एप से सम्बद्ध किया जायेगा''। इस हेतु विकसित की गई प्रक्रिया दिनांक 02.10.2017 से प्रारम्भ की जा रही है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण हेतु (कर एवं गैर कर) एन्ड्रॉइड मोबाईल एप के माध्यम से ई–ग्रास साईट से चालान जनरेट करने के लिए जमाकर्त्ता को अपने मोबाईल पर प्ले स्टोर से ई–ग्रास एप डाऊनलोड करनी होगी तथा यूजर प्रोफाईल बनाना अनिवार्य होगा, इससे जमाकर्त्ता को कभी भी कहीं से भी चालान बनाये जाने व ई–भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।

**इस संबंध में जमाकर्त्ता को निम्न सुविधाएं उपलब्ध होगी :–**

1. मोबाईल एप से केवल ऑनलाइन राजस्व (Net Banking/SBI e-Pay के माध्यम से) जमा करवाये जाने हेतु ही चालान बनाये जा सकते है, मैनुअल भुगतान हेतु नहीं।
2. जमाकर्त्ता ई–ग्रास पर उपयोग में ली जाने वाली वर्तमान लॉगिन आई.डी. से चालान जनरेट कर सकता है अथवा नई लॉगिन आई.डी. बना सकता है। मोबाईल एप पर गेस्ट लॉगिन आई.डी. से चालान नहीं बनाये जा सकेगें।
3. मोबाईल एप पर पुराने चालान को Repeat करके भी नये चालान बनाये जा सकते है।
4. जमाकर्त्ता मोबाईल एप पर विभागवार Profile भी बना सकता है।
5. मोबाईल एप पर जमाकर्त्ता को Transactions (GRN) Search करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
6. मोबाईल एप पर बनाये गए चालान Save किए जा सकते है।

मोबाईल एप पर चालान बनाये जाने की उक्त प्रक्रिया ई–ग्रास हेतु राजस्थान कोषागार नियम–2012 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत ही सम्पादित होगी।

उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु स्थानीय स्तर पर संबंधित कोषालयों/उपकोषालयों एवं विभागीय स्तर पर निम्न नम्बर्स/ई–मेल आई.डी. पर सम्पर्क किया जा सकेगा –

(1) एन.आई.सी. हेल्प डेस्क – 0141–5111007
ई–मेल आई.डी. – paymanager.rj@gmail.com

(2) सहायक लेखाधिकारी–I, (पे–मैनेजर) – 0141–2744402
ई–मेल आई.डी. –aaopaymanager.ifms.@rajasthan.gov.in

(3) लेखाधिकारी (आई.एफ.एम.एस.) – 0141– 2744402
ई–मेल आई.डी. –ao-ifms-rj@nic.in
सूचना सहायक मेल आई.डी. –ia.ifms@rajasthan.gov.in

(4) ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय – 0141– 2744294
ई–मेल आई.डी. –e-to-rj@nic.in

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीया मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
12. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
15. श्री आई.डी. वरियानी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
16. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
17. कोषाधिकारी, समस्त।
18. ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय, वित्त भवन, जयपुर को सूचनार्थ व आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव